

वर्ष 2018-19 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु निर्धारित धनराशि का प्राकल्लन ।
परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.346 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।।

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-	ग्राम कुमराडा खसरा सं०-5001	वृक्षा० क्ष०फ० :-	16.692 हे० ।
---------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------

वृक्षारोपण व्यय प्रति हे० (2000 पौधा)						
क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	हे०	138.60	हे०	138.60
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	हे०	4143.70	हे०	4143.70
3	दीवालबन्दी (फन्सिंग) 150 रिविंग मी०	1	हे०	28833.20	हे०	28833.20
4	गड्डा खुदान (0.30×0.30×0.45)	2000	गड्डे	8.80	गड्डा	17600.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	1	हे०	1034.00	हे०	1034.00
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत पॉलीथीन बैग पौधरोपण हेतु	2000	पौध	13.20	पौध	26400.00
7	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर	0.5	हे०	1326.60	हे०	663.30
योग :- प्रथम चरण						78812.80

द्वितीय चरण :-						
1	गड्डा भरान (0.30×0.30×0.45)	2000	गड्डे	1.562	गड्डा	3124.00
2	पौधरोपण व धावलाबन्दी दुलान रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित	2000	पौध	3.135	पौध	6270.00
3	निराई-गुडराई व मल्टिचिंग (दो बार)	2000	गड्डे	4.169	गड्डा	8338.00
4	खाद व दवा पर व्यय	2000	गड्डे	1.10	गड्डा	2200.00
5	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	1	हे०	5464.80	हे०	5464.80
6	8.1. वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील	1	हे०	448.80	हे०	448.80
	8.2. सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	1	हे०	448.80	हे०	448.80
	8.3. वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु					
	अ- प्रशिक्षण	1	हे०	689.70	हे०	689.70
	ब- प्रोत्साहन	1	हे०	344.30	हे०	344.30
7	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो, तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कमैटेशन आदि कार्य	0.50	हे०	1326.60	हे०	663.30
योग :- द्वितीय चरण						27991.70

तृतीय चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसूक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	15000.00	हे०	15000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	हे०	3000.00	हे०	3000.00
योग :-						18000.00

चतुर्थ चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुसूक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	10000.00	हे०	10000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	हे०	2000.00	हे०	2000.00
योग :-						12000.00

पंचम चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुसूक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	10000.00	हे०	10000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	हे०	2000.00	हे०	2000.00
योग :-						12000.00

षष्ठम चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुसूक्षण कार्य 12 माह	1	हे०	10000.00	हे०	10000.00

आग्न सुरक्षा कार्य						12000.00
योग :-						
सप्तम चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10000.00	है०	10000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2000.00	है०	2000.00
योग :-						12000.00
अष्टम चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10000.00	है०	10000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2000.00	है०	2000.00
योग :-						12000.00
नवम चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10000.00	है०	10000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2000.00	है०	2000.00
योग :-						12000.00
दशम चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10000.00	है०	10000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2000.00	है०	2000.00
योग :-						12000.00
कुलयोग :-						208804.50
एकदशम चरण :- अनुरक्षण नवम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						10984.00
द्वदशम चरण :- अनुरक्षण दशम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						10984.00
कुल योग :-						327929.60

नोट :- प्रभाग के आगणन अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि 327929.60.00 है, किन्तु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश सं०-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु०-2,78,665.00 निर्धारित की गई है। अतः क्षति० वृक्षा० की धनराशि मु०-2,78,665.00 से निकाली जा रही है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है० = 2,78,665.00
परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल = 8.346 है० × 2 = 16.692 है०।
दोगुने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 16.692 × 2,78,665.00 = 4651476.18 रु०
Or Say = 4651476.00 Rs.

Checked For Rs. 4651476.00
Draftsman
Uttarakhand Forest Division
Uttarakashi

प्रभागीय वन अधिकारी
उत्तराखण्ड वन प्रभाग
उत्तराखण्ड



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashfd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 1883 /12-1, कोटबंगला दिनांक 21 /11 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

फाइल सं०...1510...
डायरी सं० 1298...
दिनांक 6/12/2023

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.346 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।। प्रपोजल संख्या-FP/UK/ROAD/20179/2016.

सन्दर्भ :- कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून का पत्रांक-211 / FP/UK/ROAD/20179/2016. दिनांक 20.07.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या भारत सरकार कार्यालय को दिनांक 27.04.2022 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई थी। जिसका अवलोकन करने पर कतिपय त्रुटियां पायी गई है। उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा 02 बिन्दुओं की आख्या मांगी गई है। उक्त 02 बिन्दुओं की निराकरण आख्या परियोजना पर विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है-

क्र.सं.	शर्त/त्रुटि का विवरण	निराकरण
1	राज्य सरकार रुपये 46,51,476.00 /- हेतु संशोधित सी०ए० योजना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	इस शर्त के अनुपालन में ग्राम कुमराडा तहसील चिन्यालीसौड के खसरा सं०- 5001 रक्बा 16.692 हे० भूमि में रोपण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 46,51,476.00 रु० का प्राक्कलन संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	शर्त सं०-01 की अनुपालना में राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	उक्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल एवं (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना इस कार्यालय के पत्र-2872 /12-1 दिनांक 09.02.2021 द्वारा अग्रेत्तर कार्यावाही हेतु वन संरक्षक भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती कार्यालय को पूर्व में प्रेषित की गई है। (संलग्नक-2)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार 03 हार्ड प्रतियों में।

भवदीय,

(डी०पी० बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० चिन्यालीसौड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त सी०ए० योजना को अपने स्तर से परिवेश पोर्टल पर आनलाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

(डी०पी० बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

AE-I / Anmim
31/12/23 कार्यावाही के,